न्यायालय– विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय) कोर्ट नं० 1/
अपर सत्र न्यायाधीश मऊ।

उपस्थित श्री राजवीर सिंह.........................उच्च न्यायिक सेवा

विशेष सत्र परीक्षण सं० 80/2019

उत्तर प्रदेश राज्य

बनाम

1. प्रद्युम्न चौहान, उम्र लगभग 26 वर्ष, पुत्र अशोक चौहान, निवासी–मूजडाड़, थाना–घोसी, जनपद–मऊ।

.....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध सं० 244/2019
धारा–363, 376 भारतीय दण्ड संहिता
व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से
बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012
थाना–घोसी जनपद मऊ ।

निर्णय

1. पुलिस थाना घोसी जनपद मऊ द्वारा मुकदमा अपराध सं० 244/2019 अन्तर्गत धारा–363, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 थाना घोसी, जनपद मऊ में अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किया गया है।

2. परिवादिनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर इस निवेदन के साथ प्रस्तुत की है कि "प्रार्थिनी की पुत्री पीड़िता जिसकी उम्र लगभग 14 वर्ष है, को मेरे ही गांव का प्रद्युम्न चौहान पुत्र अशोक चौहान बहला फुसलाकर दिनांक 27.06.2019 समय लगभग 9 बजे दिन में जब घर पर कोई नहीं था, भगाकर लेकर चला गया। प्रार्थिनी जब घर आयी तो अपनी पुत्री को घर पर न पाकर खोजने लगी। पूछताछ करने पर गांव के कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि प्रद्युम्न चौहान के साथ जाते हुए देखा गया है। उक्त घटना में मीरा पुत्री बगेदू चौहान, रामलखन पुत्र रामजीत, अशोक चौहान पुत्र रामबदन चौहान, तिलिया देवी पत्नी अशोक चौहान का भी हाथ है। उक्त लोग साजिश के तहत यह कार्य करवाये हैं, जबकि प्रद्युम्न का पिता अशोक चौहान कह

रहा है कि तुम्हारी बेटी से शादी कराएंगे। उक्त घटना में शामिल मीरा चौहान पुत्री बगेदू चौहान एक आदती महिला है, जो नाबालिग लड़कियों को अपने फेबर में करके लड़को से बात कराती है, मोबाईल से सम्पर्क कराती है और पैसा कमाती है जिससे पूरे गांव में उसके खिलाफ लोग आवाज उठाने से डरते हैं। कल दिनांक 04.07.2019 को थाना से सुपुर्दनामा लिखाकर लड़की को हम प्रार्थिनी द्वारा घर ले जाया गया है।"

3. परिवादिनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण प्रद्युम्न चौहान, मीरा, रामलखन, अशोक चौहान, तिलिया देवी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मुकदमा अपराध सं० 244/2019 अन्तर्गत धारा–363, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता थाना घोसी, जनपद मऊ में दर्ज की गयी। विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया एवं गवाहान के बयान अंकित किये गये एवं पर्याप्त साक्ष्य संकलन के उपरान्त अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–363, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आरोपपत्र न्यायालय प्रस्तुत किया है।

4. अभियुक्त को मामले की नकलें दी गयीं तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात तथा सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान के विरुद्ध अन्तर्गत धारा – 363, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आरोप विरचित किये गये। उपरोक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

5. अभियोजनपक्ष की ओर से उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए साक्षी पी.डब्लू.1 परिवादिनी/पीड़िता की मां, साक्षी पी.डब्लू.2 पीड़िता का भाई, साक्षी पी.डब्लू.3 पीड़िता, साक्षी पी.डब्लू.4 महिला कां. दीपशिखा रंजन, साक्षी पी.डब्लू.5 हे.कां. मोहर्रिर जमुना सिंह, साक्षी पी.डब्लू.6 प्रधानाचार्य गायत्री चौहान व साक्षी पी.डब्लू.7 निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला को परीक्षित कराया गया है। बचावपक्ष द्वारा औपचारिक दस्तावेजों की औपचारित सत्यता स्वीकृत की गयी है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर प्रदर्श क–1, पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. प्रदर्श क–2, पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. प्रदर्श क–3, एफ.आई.आर. चिक प्रदर्श क–4, एफ.आई.आर. चिक का तस्किरा प्रदर्श क–5, एफ.आई.आर. चिक की जी.डी. प्रदर्श क–6, पीड़िता की जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रपत्र प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10, नक्शा नजरी प्रदर्श क–11, आरोपपत्र प्रदर्श क –12, पीड़िता की चिकित्सीय आख्या पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान धारा 313 सी आर.पी.सी. विरचित किया गया। जिसमें अभियुक्त से पूछा गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से यह अभियोग लगाया गया है कि दिनांक 27.06.2019 को समय लगभग 09:00 बजे आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा की 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री/पीड़िता को अयुक्त संभोग करने हेतु पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस संबंध में आपको क्या कहना है? तो अभियुक्त ने कहा कि गलत है। अभियुक्त से पूछा गया कि साक्षी पी.डब्लू.1 परिवादिनी/पीड़िता की माँ, के बयान सुने व समझे। जिन्होंने अपने बयान में कथन किया है कि घटना माह क्वार की है, सुबह 9 बजे की है। मेरी लड़की पीड़िता उम्र 14 वर्ष को प्रद्युम्न चौहान जब घर में कोई नहीं था तो बहला फुसलाकर भगा ले गया। उक्त साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया। इस संबंध में आपको क्या कहना है? तो अभियुक्त ने कहा कि झूठी गवाही दी है गलत साबित किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि साक्षी पी.डब्लू.2 पीड़िता का भाई, के बयान सुने व समझे। इस संबंध में आपको क्या कहना है? तो अभियुक्त ने कहा कि झूठी गवाही दी है। अभियुक्त से पूछा गया कि साक्षी पी.डब्लू.3 पीड़िता, के बयान सुने व समझे। पीड़िता ने अपने बयान में कथन किया है कि घटना के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे स्कूल का नाम सितावी देवी इण्टर कॉलेज मऊ थी। घटना के समय मेरी उम्र 14 वर्ष थी। घटना दिनांक 27 जून, 2019 की है। उस दिन मेरे भाई के लड़की की शादी में मेरे

परिवार के लोग गये थे। उस दिन मैं घर पर अकेले थी। मुझे कोई बुलाने नहीं गया था। मैं शादी में जा रही थी। मीरा के घर पहुँची तो मेरे गांव का प्रद्युम्न चौहान और तीन लोग थे, जिनका नाम मैं नहीं जानती थी। जब मैं मीरा के घर गयी तो प्रद्युम्न मेरे साथ जबरदस्ती किया। फिर वह मुझे घोसी लाया, फिर घोसी से मुझे बस से मऊ लाया, फिर मऊ से दिल्ली ट्रेन से ले गया। वह दिल्ली ले जाकर रूम में रखा था, फिर वहाँ से मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। जब मैं दिल्ली में थी तो मुझसे शारीरिक सम्बंध बनाता था। मुझे डराया धमकाया भी था। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. को प्रदर्श क–2 व बयान 164 सीआर.पी.सी. को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। इस संबंध में आपको क्या कहना है? तो अभियुक्त ने कहा कि झूठी गवाही दी है गलत साबित किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि साक्षी पी.डब्लू.4 महिला का० दीपशिखा रंजन, के बयान सुने व समझे। जिन्होंने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 10.07.2019 को थाना घोसी, मऊ में महिला का० के पद पर तैनात थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष के मौखिक आदेशानुसार पीड़िता का बयान मेरे द्वारा पीड़िता के बोलने पर अक्षरक्षः यह बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. के तहत दर्ज किया गया था। इस सम्बंध में आपको क्या कहना हैं? तो अभियुक्त ने कहा कि झूठी गवाही दी है। अभियुक्त से पूछा गया कि साक्षी पी.डब्लू.5 हे.कां. मोहर्रिर जमुना सिंह, के बयान सुने व समझे। जिन्होंने ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 07.07.2019 को मैं बतौर का. मो. थाना घोसी में तैनात था व ड्यूटी पर था कि उसी दिन दिनांक 07.07.19 को थाना प्रभारी निरीक्षक के लिखित आदेश पर मुकदमा वादिनी की हस्तलिखित तहरीर लेकर कंप्यूटर आपरेटर से अक्षरशः बोलकर कंप्यूटरीकृत कराया और मिलान किया। सही पाये जाने पर अ०सं० 244/19, धारा–363, 120B आई.पी.सी. थाना घोसी जनपद मऊ बनाम प्रद्युम्न चौहान आदि का एफ.आई.आर. किता किया। उक्त साक्षी ने प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 को साबित किया। इस सम्बंध में आपको क्या कहना हैं? तो अभियुक्त ने कहा कि झूठी गवाही दी गलत साबित किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि साक्षी पी.डब्लू.6 गायत्री चौहान प्रधानाचार्या, के बयान सुने व समझे। जिन्होंने अपने बयान में कथन किया

है कि छात्रा पीड़िता मेरे विद्यालय में कक्षा आठ में शिक्षा सत्र 2016–2017 में प्रवेश लिया। प्रवेश के समय छात्रा ने पूर्व विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्रवेश के लिए संलग्न किया था। उसमें अंकित जन्मतिथि 11.10.2005 को ही मेरे छात्र पंजिका में अंकित किया गया। उक्त साक्षी ने पीड़िता की जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रपत्र को प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया। इस सम्बंध में आपको क्या कहना हैं? तो अभियुक्त ने कहा कि झूठी गवाही दी है गलत साबित किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि साक्षी पी.डब्लू.7 निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, के बयान सुने व समझे। जिन्होंने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 08.07.2019 को मैं बतौर चौकी इंचार्ज नदवासराय घोसी पर था। तत्कालीन थाना प्रभारी के आदेश से अ०सं० 244/2019 धारा–363,120B आई.पी.सी. थाना घोसी बनाम प्रद्युम्न चौहान की विवेचना ग्रहण किया। उसी दिन अवलोकन एफ.आई.आर., बयान लेखक एफ.आई.आर. का अवलोकन कर पर्चा किता किया। बयान वादिनी, बयान गवाह निरीक्षण घटनास्थल का किया व पर्चा किता किया। उक्त साक्षी ने प्रदर्श क–11 व प्रदर्श क–12 को साबित किया। इस सम्बंध में आपको क्या कहना हैं? तो अभियुक्त ने कहा कि झूठी गवाही दी है, गलत साबित किया है। अभियुक्त से पूछा गया कि आपके विरुद्ध मुकदमा क्यों चला? तो अभियुक्त ने कहा कि झूठा चला। अभियुक्त से पूछा गया कि क्या आपको सफाई साक्ष्य देना है? तो अभियुक्त ने कहा कि जी हाँ। अभियुक्त से पूछा गया कि क्या आपको कुछ और कहना है? तो अभियुक्त ने कहा कि जी नहीं।

7. मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

8. अभियुक्त पर अभियोग है कि दिनांक 27.06.2019 को समय सुबह लगभग 9 बजे वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला

किया। जो कि भा.दं.सं. की धारा 363,376 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

9. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 में जो कोई भारत में या विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 361 विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यपहरण– जो कोई किसी अप्राप्तवय को, यदि वह नर हो, तो सोलह वर्ष से कम आयु को, या यदि वह नारी हो तो, अट्ठारह वर्ष से कम आयु वाली को या किसी विकृतचित व्यक्ति को, ऐसे अप्राप्तवय या विकृतचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षकता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है वह ऐसे अप्राप्तवय या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण– इस धारा में "विधिपूर्ण संरक्षक ” शब्दों के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसै अप्राप्तवय या अन्य व्यक्ति की देख–रेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है।

अपवाद– इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कार्य पर नहीं है, जिसे सद्‌भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे शिशु की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए न किया जाए।

10. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 में जो कोई किसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा, तो उस बलात्कार के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है। बलात्संग को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में परिभाषित किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में कहा है कि यदि कोई पुरुषः–

(क) लिंग का किसी सीमा तक स्त्री की योनि, मुख मूत्रनली या गुदा में प्रवेंशन करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के ऐसे किसी अंग को, जो लिंग नहीं है, स्त्री नहीं है, स्त्री की योनि, मूत्रनली या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, या

(ग) स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार का हस्तसाधन करता है, जिससे कि ऐसी स्त्री की योनि, मूत्रनली या गुदा या शरीर के किसी अंग में प्रवेंशन कारित किया जाय या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है, या

(घ) अपने मुख को स्त्री की योनि, गुदा मूत्रनली पर लगाता है, या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराया है या

निम्न सात विवरणों में से किसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों के अधीन किया जाता है–

प्रथम– उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

दूसरा– उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा– उस स्त्री की सम्मति से , जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

चौथा– उस स्त्री की सम्मति से, जब वह पुरुष यह जानता है कि उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है, क्योंकि वह विश्वास करती है कि वह एक ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है, या विवाहित होने का विश्वास करती है।

पांचवा– उस स्त्री की सम्मति से, जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्त या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगण रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थकर पदार्थ का सेवन कराये जाने के कारण, उस बात को जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति एवं परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवां– उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अट्ठारह वर्ष से कम आयु की है।

सातवां– जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

तब वह व्यक्ति बलात्कार करता है।

11. अभियुक्त पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 का आरोप है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा–3 प्रवेशन लैंगिक हमला–कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है यह कहा जाता है यदि वह–

(क) अपना लिंग–किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रनली या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रनली या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रनली या गुदा या बालक के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यकित के साथ ऐसे करवाता है, या

(घ) बालक के योनि, मूत्रनली या गुदा पर अपना मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा–4 में दण्ड का प्रावधान है।

12. साक्षी पी.डब्लू.1 परिवादिनी/पीड़िता की मां, ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना माह क्वार की है, सुबह 9 बजे की घटना है। मेरी लड़की पीड़िता उम्र 14 वर्ष को प्रद्युम्न चौहान जब घर में कोई नहीं था तो बहला फुसलाकर भगा ले गया। गांव में पता पूछताछ करने पर पता चला कि मेरी बेटी पीड़िता को प्रद्युम्न के साथ जाते हुए देखा है। मेरी बेटी को भगाने में प्रद्युम्न के पिता अशोक चौहान का भी हाथ है। मैं प्रद्युम्न चौहान के पिता से अपनी लड़की के बारे में पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से अपने लड़के से शादी करा दूंगा और यह भी कहा कि मैं और मेरा बेटा दोनों लोग रखेंगे। मीरा चौहान को प्रद्युम्न मोबाईल दिया था। मेरी बेटी को भगाने में मीरा चौहान का भी हाथ है। मीरा चौहान बात कराती थी। मीरा चौहान पैसा लेकर गांव के लड़कों से लड़कियों की बात

कराती थी। मेरी लड़की तीन दिन पर मिली थी। लड़की के मिलने के बाद मैंने थाने पर दरखास्त दिया था। साक्षी को कागज संख्या 5क शामिल पत्रावली पढ़कर सुनाया तो साक्षी ने अपनी निशानी अंगूठे को तस्दीक करते हुए बताया कि यह वही दरखास्त है, जो मैंने थाने पर दिया था, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। दरखास्त लिखवाने के बाद दरखास्त लिखने वाले ने मुझे पढ़कर सुनाया था। उसके बाद मैंने अंगूठा लगाया था। लड़की जब मुझे मिली तो उसने मुझे बताया कि शादी का झांसा देकर प्रद्युम्न मुझे बहला फुसला कर भगा ले गया था। यह भी बताया कि प्रद्युम्न जबरदस्ती मेरे साथ बुरा काम (बलात्कार) करता रहा। मेरी बेटी का डॉक्टरी परीक्षण हुआ था तो मैं भी अस्पताल गयी थी। दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था। दरोगा जी को मैंने घटनास्थल भी दिखाया था। जब घटना हुई थी तब मेरी लड़की हाई स्कूल में पढ़ रही थी। मैं पढ़ना –लिखना नहीं जानती हूँ। केवल अंगूठा लगाती हूँ। मुझे अपनी लड़की की जन्मतिथि याद नहीं है।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पीड़िता व गांव के लोगों ने उक्त साक्षी को बताया कि दिनांक 27.06.2019 को अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान अपने परिवार के सहयोग से अवयस्क पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। उक्त साक्षी ने प्रदर्श क–1 को साबित किया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "पीड़िता के प्रद्युम्न के साथ जाने के एक महीने बाद मुझे जानकारी हुई। " उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी को पीड़िता को अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की जानकारी घटना के एक माह बाद हुई थी। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "अर्चना के बताने के अनुसार उपरोक्त बातों को मैंने रिपोर्ट में लिखवाया था।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी ने लोगों के बताये अनुसार अभियुक्त व उसके परिवार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी थी।

साक्षी पी.डब्लू.1 परिवादिनी/पीड़िता की मां की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त बयानों से यह ज्ञात होता है कि पीड़िता व गांव के लोगों ने उक्त साक्षी

को बताया कि दिनांक 27.06.2019 को अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान अपने परिवार के सहयोग से अवयस्क पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर पीड़िता के साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार उक्त साक्षी घटना की चस्मदीद साक्षी नहीं है, बल्कि सुने सुनाये तथ्य के आधार पर गवाही दे रही है।

13. साक्षी पी.डब्लू.2 पीड़िता के भाई, ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना दिनांक 27.05.2019 को सुबह 09:00 बजे मेरे घर पर कोई नहीं था। मुल्जिम मेरी बहन पीड़िता को बहला फुसलाकर, जो मेरे ही गांव का है। प्रद्युम्न को मेरी बहन पीड़िता को ले जाते वक्त चन्द्रिका की पत्नी भानमती ने देखा था। मेरी बहन पीड़िता को भगाने में मीरा पुत्री बगेदू, रामलखन पुत्र रामजीत का हाथ था। प्रद्युम्न के पिता कहे थे कि हम उन दोनों की शादी करा देंगे, उन दोनों की शादी कराकर इतना दूर भेज देंगे कि वह जिन्दगी में कभी वापस नहीं आयेंगे। मीरा एक ऐसी औरत है, जो लड़कियों को बहला फुसलाकर लड़को से पैसा लेती है। घटना की रिपोर्ट मेरी माँ लिखवायी थी।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि गांव की महिला चन्द्रिका देखा कि अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान अपने परिवार के सहयोग से दिनांक 27.06.2019 को पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना के समय मैं घर पर नहीं था मैं काम करने के लिये घोसी की तरफ गया था। " उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी घटना के समय घटनास्थल/अपने गांव में नहीं था, बल्कि कस्बा घोसी में काम करने के लिये गया था। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "मैंने मेरी बहन को भगाते मुल्जिम प्रद्युम्न को नहीं देखा था।"उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी ने अभियुक्त द्वारा पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाते हुए नहीं देखा।

साक्षी पी.डब्लू.2 पीड़िता के भाई की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त बयानों से यह ज्ञात होता है कि गांव की महिला चन्द्रिका देखा कि अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान अपने परिवार के सहयोग से दिनांक 27.06.2019 को पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। उक्त साक्षी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है, बल्कि सुने सुनाये तथ्य के आधार पर गवाही दे रहा है।

14. साक्षी पी.डब्लू.3 पीड़िता ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "घटना के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी। मेरे स्कूल का नाम सितावी देवी इण्टर कॉलेज मऊ थी। घटना के समय मेरी उम्र 14 वर्ष थी। घटना दिनांक 27 जून, 2019 की है। उस दिन मेरे भाई के लड़की की शादी में मेरे परिवार के लोग गये थे। उस दिन मैं घर पर अकेले थी। मुझे कोई बुलाने नहीं गया था। मैं शादी में जा रही थी। मीरा के घर जब पहुँची तो मेरे गांव का प्रद्युम्न चौहान और तीन लोग थे, जिनका नाम–गांव मैं नहीं जानती थी। जब मैं मीरा के घर गयी तो प्रद्युम्न मेरे साथ जबरदस्ती किया। फिर वह मुझे घोसी लाया, फिर घोसी से मुझे बस से मऊ लाया, फिर मऊ से दिल्ली ट्रेन से ले गया। वह दिल्ली ले जाकर रूम में रखा था, फिर वहाँ से मुझसे शारीरिक संबंध बनाया। जब तक मैं दिल्ली में थी मुझसे शारीरिक सम्बंध बनाता था। मुझे डरवाया धमकाया भी था। जब मेरे घर वाले मुकदमा किये तब मुझे दिल्ली से मऊ लाया। तब मेरे घर वाले उसके मौसी के घर पहुँचे तब उसके (प्रद्युम्न) के घर वाले मुझे व प्रद्युम्न को घर ले गये। फिर वहाँ से हम लोग पुलिस चौकी गये फिर वहाँ प्रद्युम्न मुझे वहाँ छोड़ दिया और मेरे घर वाले मुझे घर लाये। बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने बताया कि यह बयान मैंने महिला पुलिस को दी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसको मैं तस्दीक करती हूँ। जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। इसके बाद महिला पुलिस व दरोगा जी मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय मऊ में लायी, उस समय मेरी माँ परिवादिनी भी मौजूद थी। फिर मेरा मेडिकल मुआयना हुआ फिर एक्स–रे हेतु आजमगढ़ गयी। दरोगाजी व महिला पुलिस मेरा बयान कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने कराने हेतु लाये थे। उस समय मेरे भाई भी थे। बयान अन्तर्गत धारा 164

सीआर.पी.सी. कागज सं.31 क शामिल पत्रावली, जिसे साक्षी को पढ़कर सुनाया तो साक्षी ने बताया कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दी थी और साक्षी ने अपने फोटो व हस्ताक्षर की पहचान की, जिसपर प्रदर्श क–3 डाला गया।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान तीन अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से दिनांक 27.06.2019 को पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। उक्त साक्षी ने प्रदर्श क–2 व प्रदर्श क–3 को साबित किया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 27.06.2019 को हाजिर अदालत प्रद्युम्न चौहान मुझे कहीं बहला फुसलाकर नहीं ले गया था एवं न ही मेरे साथ कोई शारीरिक संबंध बनाया था एवं न ही मेरे साथ कोई छेड़छाड़ किया था। इससे पहले मैंने अपने भाई व परिवार वालों के दबाव में बहला फुसलाकर ले जाने व शारीरिक संबंध बनाने का बयान दिया था।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि हाजिर अदालत अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान दिनांक 27.06.2019 को अवयस्क पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर नहीं ले गया था, और न ही हाजिर अदालत अभियुक्त ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया था, और न ही हाजिर अदालत अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान ने पीड़िता के साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया।

साक्षी पी.डब्लू.3 पीड़िता अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन करती है कि अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान तीन अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से दिनांक 27.06.2019 को पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया, परन्तु उक्त साक्षी अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करती है कि हाजिर अदालत अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान दिनांक 27.06.2019 को अवयस्क पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर नहीं

ले गया था, और न ही हाजिर अदालत अभियुक्त ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया था, और न ही हाजिर अदालत अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान ने पीड़िता के साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। इस प्रकार उक्त साक्षी की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में गंभीर विरोधाभाष है। जिससे अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न होता है।

15. साक्षी पी.डब्लू.4 महिला कां. दीपशिखा रंजन, ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 10.07.2019 को थाना घोसी, मऊ में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। तत्कालीन थानाध्यक्ष के मौखिक आदेशानुसार पीड़िता मेरे समक्ष आयी तो मेरे द्वारा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. पीड़िता के बोलने पर मेरे द्वारा अक्षरक्षः अंकित किया गया और बयान को पढ़कर पीड़िता को सुनाया गया। पीड़िता ने बयान सुनकर अपना हस्ताक्षर बनायी, उस पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. कागज सं. 8 क शामिल पत्रावली है, जो मेरे लेख में है। जिस पर मेरे व पीड़िता के हस्ताक्षर हैं। जिसे में तस्दीक करती हूँ। जिस पर पूर्व से प्रदर्श क–2 डाला जा चुका है।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. अंकित किया गया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "थानाध्यक्ष घोसी के आदेश पर पीड़िता का बयान दर्ज किया" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष के आदेश पर पीड़िता का बयान 161 सीआर.पी.सी. नियमानुसार अंकित किया।

साक्षी पी.डब्लू.4 महिला कां. दीपशिखा रंजन की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त बयानों से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी द्वारा तत्कालीन थानाध्यक्ष के मौखिक आदेश पर पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. अंकित किया गया।

16. साक्षी पी.डब्लू.5 हे.कां. मोहर्रिर जमुना सिंह, ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 07.07.2019 को मैं बतौर का. मो. थाना घोसी में तैनात था व ड्यूटी पर था कि उसी दिन 07.07.19 को थाना प्रभारी निरीक्षक के लिखित आदेश पर मुकदमा वादी की हस्तलिखित तहरीर लेकर कंप्यूटर आपरेटर से अक्षरशः बोलकर कंप्यूटरीकृत कराया और मिलान किया। सही पाये जाने पर अ०सं० 244/19, धारा–363,120 बी थाना घोसी, जनपद मऊ बनाम प्रद्युम्न चौहान आदि का एफ.आई.आर. किता किया। किता होने के बाद एक प्रति वादी मुकदमा को दिया। एफ.आई.आर. किता करने का तस्किरा हस्तलिखित तहरीर कागज संख्या 5 क के पृष्ठ भाग पर किता किया। साक्षी को चिक एफ.आई.आर. 6 क/1 ता 6 क/3 दिखाया तो साक्षी ने 6 क/3 पर तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज कुमार पाठक के हस्ताक्षर हैं, जिनको मैं तस्दीक करते हुए बताया कि यह चिक एफ.आई.आर. मेरे द्वारा लिखाई गयी है, जिसको मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। चिक किता करने का तस्किरा मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिसको मैं तस्दीक करता हूँ।जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। चिक किता होने से पहले मैं जी.डी. कायमी किता कराया। जी.डी. कायमी कागज संख्या 7 क/1 दिखाया तो साक्षी ने पूर्व थाना प्रभारी नीरज कुमार के हस्ताक्षर हैं, जिसको मैं तस्दीक करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी ने वादिनी मुकदमा की हस्तलिखित तहरीर के आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक के लिखित आदेश पर मु०अ०सं० 244/19, अन्तर्गत धारा 363,120 बी आई.पी.सी. थाना घोसी, जनपद मऊ बनाम प्रद्युम्न चौहान आदि का अभियोग कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर अक्षरशः टंकित कराया। उक्त साक्षी ने प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 को साबित किया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "प्रदर्श क–6 को नीरज पाठक ने तस्दीक किया था।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि प्रदर्श क–6 एफ.आई.आर. चिक की जी.डी. पर थाना प्रभारी नीरज पाठक के हस्ताक्षर हैं।

साक्षी पी.डब्लू.5 हे.कां. मोहर्रिर जमुना सिंह की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त बयानों से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी ने वादिनी मुकदमा की हस्तलिखित तहरीर के आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक के लिखित आदेश पर मु०अ०सं० 244/19, अन्तर्गत धारा 363,120 बी आई.पी.सी. थाना घोसी, जनपद मऊ बनाम प्रद्युम्न चौहान आदि का अभियोग कम्प्यूटर आपरेटर से बोल–बोलकर अक्षरशः टंकित कराया। उक्त साक्षी ने प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5 व प्रदर्श क–6 को साबित किया।

17. साक्षी पी.डब्लू.6 गायत्री चौहान प्रधानाचार्या, ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "छात्रा पीड़िता मेरे विद्यालय में कक्षा आठ में शिक्षा सत्र 2016–2017 में प्रवेश लिया। प्रवेश के समय छात्रा ने पूर्व विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्रवेश के लिए संलग्न किया था। उसमें अंकित जन्मतिथि 11.10.2005 को ही मेरे छात्र पंजिका में अंकित किया गया। छात्रा पीड़िता मेरे विद्यालय में 2018–19 में हाईस्कूल अनुत्तीर्ण की है और विद्यालय छोड़ चुकी है। अपने कथन के समर्थन में छात्र प्रवेश पंजिका, पूर्व विद्यालय के स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा शिक्षा सत्र गजट की छायाप्रति प्रस्तुत कर रही हूँ। साक्षी को हाई स्कूल प्रवेश पत्र 9 क/1 दिखाया तो साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक कर बताया कि यह प्रवेश पत्र मेरे विद्यालय से जारी है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया, अपने कथन के समर्थन में जो प्रमाणपत्र दाखिल कर रही हूँ उस पर हस्ताक्षर मेरे हैं, जिसको मैं तस्दीक कर रही हूँ। जिस पर प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9, प्रदर्श क–10 डाला गया।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि पीड़िता ने उक्त साक्षी के विद्यालय में शिक्षा सत्र 2016–17 में कक्षा आठ में प्रवेश लिया। पीड़िता ने उक्त साक्षी के विद्यालय से हाईस्कूल की परीक्षा 2018–19 में अनुत्तीर्ण की है। पीड़िता की जन्मतिथि 11.10.2005 है। उक्त साक्षी ने पीड़िता की जन्मतिथि से सम्बन्धित शैक्षणिक प्रपत्र प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 को साबित किया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "पीड़िता का प्रवेश मेरे विद्यालय 18.07.2016 को कक्षा–8 में लिया गया है।" उक्त साक्षी के उक्त कथन

से यह ज्ञात होता है कि पीड़िता का प्रवेश उक्त साक्षी के विद्यालय में कक्षा –8 दिनांक 18.07.2016 को हुआ।

साक्षी पी.डब्लू.6 गायत्री चौहान प्रधानाचार्या की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त बयानों से यह ज्ञात होता है कि पीड़िता ने उक्त साक्षी के विद्यालय में शिक्षा सत्र 2016–17 में कक्षा आठ में प्रवेश लिया। पीड़िता ने उक्त साक्षी के विद्यालय से हाईस्कूल की परीक्षा 2018–19 में अनुत्तीर्ण की है। पीड़िता की जन्मतिथि 11.10.2005 है। उक्त साक्षी ने पीड़िता की जन्मतिथि से सम्बन्धित शैक्षणिक प्रपत्र प्रदर्श क–7, प्रदर्श क–8, प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10 को साबित किया।

18. साक्षी पी.डब्लू.7 निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला, ने अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन किया है कि "दिनांक 08.07.2019 को बतौर चौकी इंचार्ज नदवासराय घोसी पर था। तत्कालीन थाना प्रभारी के आदेश से अ०सं० 244/2019, अन्तर्गत धारा–363,120B आई.पी.सी. थाना घोसी बनाम प्रद्युम्न चौहान की विवेचना ग्रहण किया। उसी दिन अवलोकन एफ.आई.आर., बयान लेखक एफ.आई.आर. का अवलोकन कर किता पर्चा किया। बयान वादिनी, बयान गवाह, निरीक्षण घटनास्थल का किया व पर्चा किता किया। अवलोकन बयान पीड़िता 161 सीआर.पी.सी. किया व पर्चा किता किया। पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन कर पर्चा किता किया। गिरफ्तारी अभियुक्त कर बयान अंकित कर रिमाण्ड पर भेजा। पुनः पीड़िता का बयान मजीद अंकित कर पर्चा किता किया। पीड़िता का 164 सीआर.पी.सी. अंकित कराने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया। स्वतंत्र गवाह रामलक्षन, भानमती, सविता का बयान, अवलोकन 164 सीआर.पी.सी. पीड़िता का करने के बाद धारा 376 आई.पी.सी. व पाक्सो एक्ट पाये जाने पर बढ़ोत्तरी कर पर्चा किता किया। स्वतंत्र गवाह भभूती, जामवती, तूफानी, इन्द्रदेव, सतिराम व बयान मीरा, अभियुक्तगण का अंकित कर पर्चा किता किया। तमामी विवेचना के बाद आरोपीगण मीरा पुत्री बगेदू, रामलखन पुत्र रामदीप, अशोक चौहान पुत्र रामबदन, तिरीया देवी पत्नी अशोक निवासीगण मूजडाड़ थाना घोसी की नामजदगी गलत पाई गई। अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान पुत्र अशोक चौहान के

विरूद्ध 363,376 आई.पी.सी. व 3/4 पाक्सो एक्ट प्रथम दृष्टया बखूबी पाकर टंकित आरोपपत्र न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी को नक्शा नजरी कागज सं.15 क दिखाया तो साक्षी ने नक्शा नजरी अपने लेख व हस्ताक्षर में तस्दीक होना बताया, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया। साक्षी को टंकित आरोपपत्र कागज सं.3 क/1 ता 3 क/7 दिखाया तो साक्षी ने अपने हस्ताक्षर को तस्दीक करते हुए बताया कि यह आरोपपत्र मेरे द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसपर प्रदर्श क –12 डाला गया।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी उक्त मामले का विवेचक है। उक्त साक्षी ने एफ.आई.आर. लेखक व पीड़िता की मां/परिवादिनी व मामले से संबंधित अन्य गवाहानों के बयान अंकित कर सी.डी. किता किये तथा सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा घटनास्थल पर पहुंच कर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया व अभियुक्त को गिरफ्तार कर सी.डी. किता किया। उक्त साक्षी ने प्रदर्श–11 व प्रदर्श–12 को साबित किया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "पीड़िता के उम्र के बाबत मैंने विद्यालय के किसी प्रधानाचार्य का बयान नहीं लिया। (स्कूल के प्रमाणपत्र जो लगा है) पीड़िता के बयान के आधार व प्रमाणपत्र के आधार पर मैंने 376 आई.पी.सी. व पाक्सो एक्ट की धारा बढ़ोत्तरी किया।" उक्त साक्षी के उक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी ने पीड़िता के बयान व पीड़िता की जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रपत्र के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा.दं.सं. व पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की।

साक्षी पी.डब्लू.7 निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा के उपरोक्त बयानों से यह ज्ञात होता है कि उक्त साक्षी उक्त मामले का विवेचक है। उक्त साक्षी ने एफ.आई.आर. लेखक व पीड़िता की मां/परिवादिनी व मामले से संबंधित अन्य गवाहानों के बयान अंकित कर सी.डी. किता किये तथा सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा घटनास्थल पर पहुंच कर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया व अभियुक्त को गिरफ्तार कर सी.डी. किता किया तथा उक्त साक्षी ने प्रदर्श–11 व प्रदर्श–12 को साबित किया।

19. साक्षी पी.डब्लू.1 परिवादिनी/पीड़िता की मां व साक्षी पी.डब्लू. 2 पीड़िता का भाई घटना के चश्मदीद साक्षी नहीं है, बल्कि सुने सुनाये तथ्य के आधार पर गवाही दे रहे हैं। साक्षी पी.डब्लू.3 पीड़िता अपनी मुख्यपरीक्षा में कथन करती है कि अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान तीन अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से दिनांक 27.06.2019 को पीड़िता को उसकी विधिक संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया, परन्तु साक्षी पी.डब्लू.3 पीड़िता अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करती है कि हाजिर अदालत अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान दिनांक 27.06.2019 को अवयस्क पीड़िता को उसकी विधिपूर्ण संरक्षकता में से पीड़िता के विधिक संरक्षक की सम्मति के बिना पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर नहीं ले गया था, और न ही हाजिर अदालत अभियुक्त ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया था, और न ही हाजिर अदालत अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान ने पीड़िता के साथ बलात्कार कर प्रवेशन लैंगिक हमला किया। साक्षी पी.डब्लू.3 पीड़िता की मुख्यपरीक्षा व प्रतिपरीक्षा में गंभीर विरोधाभाष है। जिससे अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न होता है। साक्षी पी .डब्लू.4 का. दीपशिखा रंजन, साक्षी पी.डब्लू.5 हे.कां. मुहर्रिर जमुना सिंह, साक्षी पी.डब्लू.6 गायत्री चौहान प्रधानाचार्य, साक्षी पी.डब्लू.7 विवेचक अशोक कुमार शुक्ला औपचारिक साक्षी हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट तहरीर प्रदर्श क–1 ,पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआर.पी.सी. प्रदर्श क–2,पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआर.पी.सी. प्रदर्श क–3, एफ.आई.आर. चिक प्रदर्श क–4, एफ.आई.आर. चिक का तस्किरा प्रदर्श क–5, एफ.आई.आर. चिक की जी.डी. प्रदर्श क–6, पीड़िता की जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रपत्र प्रदर्श क–7,प्रदर्श क–8,प्रदर्श क–9 व प्रदर्श क–10, नक्शा नजरी प्रदर्श क –11, आरोपपत्र प्रदर्श क –12 पीड़िता की चिकित्सीय आख्या प्रदर्श क–13 से अभियोजनपक्ष अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–363, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 को साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान अन्तर्गत धारा–363, 376 भारतीय दण्ड संहिता एवं

धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

20. अभियुक्त प्रद्युम्न चौहान को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–363,376 एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषमुक्त किया जाता है।

21. अभियुक्त द्वारा पूर्व में दाखिल बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा अभियुक्त के जमानतदारों को अभियुक्त के जमानत के दायित्यों से उन्मोचित किया जाता है।

22. अभियुक्त द्वारा धारा 437 ए सीआर.पी.सी. के अन्तर्गत दाखिल बंधपत्र व जमानतनामें छह माह तक प्रभावी होंगे।

दिनांकः03.01.2024 **(राजवीर सिंह)**
विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय) कक्ष सं.1/
अपर सत्र न्यायाधीश मऊ ।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित करके सुनाया गया ।

दिनांकः03.01.2024 **(राजवीर सिंह)**
विशेष न्यायाधीश (बाल न्यायालय) कक्ष सं.1/
अपर सत्र न्यायाधीश मऊ ।